न्यूज़ टुडे

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024' प्रकाशित किया

- यह एटलस **ग्लोबल पीटलैंड्स असेसमेंट** (2022) पर आधारित है और **ग्लोबल पीटलैंड मैप** 2.0 के साथ संगत है। ये दोनों **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (UNEP) **की वैश्विक पीटलैंड्स पहल की प्रमुख पहलें** हैं।
    - UNEP **वैश्विक पीटलैंड्स पहल:** इसका गठन 2016 **में मोरक्को के माराकेश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन** (UNFCCC)-COP में किया गया था।
- **पीटलैंड्स (पीटभूमियों) के बारे में**
    - पीटलैंड्स **स्थलीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिक-तंत्र** हैं। इनमें जलभराव की स्थिति होती है, जो क्षय प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसके कारण **पादप सामग्री पूरी तरह से विघटित नहीं** हो पाती है। नतीजतन, कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन इसके अपघटन से अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप पीट का शुद्ध संचय होता है।
        - पीट, **मृत और आंशिक रूप से विघटित पादपों के अवशेष** हैं, जो **जलभराव की स्थिति** में जमा हो जाते हैं।
    - **वैश्विक स्तर पर पीटलैंड वितरण:** पीटलैंड्स **विश्व के भूमि क्षेत्र का 3.8% हिस्सा** कवर करती हैं।
        - **इनका विस्तार:**
            - यूरोप में प्राकृतिक रूप से **वनों के भीतर स्थित पीटलैंड्स;**
            - दक्षिण-पूर्व एशिया में **उष्णकटिबंधीय पीट दलदल;**
            - रूस और कनाडा के **पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र;** तथा
            - एंडीज और हिमालय में **उच्च पर्वतीय पीटलैंड्स।**
        - **विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीटलैंड्स कांगो बेसिन** में स्थित हैं।
    - **पीटलैंड्स का क्षरण:** वैश्विक स्तर पर लगभग **12% पीटलैंड्स का क्षरण** हो चुका है। **भारत में 60% से अधिक पीटलैंड्स का** क्षरण हो रहा है।
        - **खतरा:** कृषि कार्य, पीट निष्कर्षण, औद्योगिक गतिविधियां और अवसंरचना का विकास। वर्तमान में सूख चुकी ये पीटलैंड्स सभी मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में **4% उत्सर्जन** के लिए जिम्मेदार हैं।

पीटलैंड्स का महत्त्व

- **कार्बन भंडारण:** पीटलैंड्स विश्व के सबसे बड़े स्थलीय कार्बन स्टॉक हैं। ये वैश्विक स्तर पर कम-से-कम **550 गीगाटन कार्बन संग्रहित** करती हैं। यह विश्व के सभी वनों में संग्रहीत **कार्बन से दोगुने से भी अधिक** है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** पीटलैंड्स **दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास** हैं।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाएं:** मानव उपभोग और कृषि के लिए जल का विनियमन और शुद्धिकरण करती हैं; जलवायु पर शुद्ध शीतलन प्रभाव डालती हैं आदि।

- **पीटलैंड्स के संरक्षण के लिए पहलें**
    - पीटलैंड्स पर वैश्विक कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश (2002);
    - पीटलैंड्स के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-4) का संकल्प (2019), आदि।

UNFCCC के CoP-29 में 'ग्रीन डिजिटल एक्शन (GDA) पर घोषणा-पत्र' को अपनाया गया

- ग्रीन डिजिटल एक्शन (GDA) को **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ** (ITU) द्वारा अन्य सरकारी और नागरिक समाज संगठनों के साथ CoP-28 (दुबई, 2023) में लॉन्च किया गया था।
    - इसका उद्देश्य **व्यावहारिक समाधान विकसित करने, उद्योगव्यापी जलवायु समर्थन को बढ़ावा देने तथा निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ढांचे को मजबूत** करने में वैश्विक डिजिटल समुदाय को एकजुट करना है।

- **घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
    - **डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:** जलवायु कार्रवाई का समर्थन करना और प्रतिरोधक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
    - **जलवायु पर डिजिटलीकरण के प्रभाव को कम करना:** जलवायु पर डिजिटलीकरण के प्रभाव को मापने के लिए मैट्रिक्स एवं इंडीकेटर्स स्थापित करना।
    - **सतत नवाचार को बढ़ावा देना:** इसके लिए हमें निवेश को सुविधाजनक बनाना होगा; बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना होगा; नवीन प्रौद्योगिकियों तक सभी की सुगम पहुंच को सुनिश्चित करना होगा; आदि।
    - **अन्य:** डिजिटल समावेशन, साक्षरता, डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना इत्यादि।
- **सतत विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का महत्त्व**
    - **सूचना के आधार पर निर्णय लेना: डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग** जैसी तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को **संधारणीय विनिर्माण प्रक्रियाओं** का समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
    - **संधारणीय डिजाइन दृष्टिकोण को अपनाना:** ये प्रौद्योगिकियां जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **टेक-मेक-डिस्पोज की बजाय सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल** पर जोर देती हैं।
    - **ओपन डेटा सोर्स को बढ़ावा देना:** आसानी से सुलभ होने वाले सूचना स्रोत तथा नई और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर नवाचार को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** (DPI) आदि।
    - **आपदा प्रबंधन में भूमिका:** आरंभिक चेतावनी प्रणाली, आरंभिक संचार, तथा खोज एवं बचाव कार्य आदि सहित जलवायु निगरानी एवं पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) को एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया

- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत शुरू की गई इस योजना के लिए कुल **2481 करोड़ रुपये का बजट आवंटित** किया गया है। यह बजट **15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2025-26 तक के लिए** है।
- **पृष्ठभूमि**
  - इससे पहले, **शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF)** का नाम बदलकर **2019 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** कर दिया गया था। इसे **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) नामक अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप-योजना** के रूप में शामिल किया गया था।
    - बाद में, 2023-24 से **BPKP का नाम बदलकर NMNF** कर दिया गया था।
- **NMNF योजना की मुख्य विशेषताएं**
  - **कार्यान्वयन:** अगले दो वर्षों में, NMNF को **इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू** किया जाएगा तथा इसे **1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया** जाएगा। साथ ही, इसके तहत **7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि शुरू** की जाएगी।
    - योजना के तहत **प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों की बहुतायत संख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता** दी जाएगी।
  - **बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs):** इनके माध्यम से किसानों के लिए **उपयोग हेतु तैयार बायो-इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित** की जाएगी। इसके लिए **10,000 ऐसे आवश्यकता-आधारित केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।
  - **मॉडल प्रदर्शन फार्म्स:** इच्छुक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए इन फार्म्स की स्थापना **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) और किसानों के खेतों** में की जाएगी।
  - **जागरूकता सृजन:** इच्छुक किसानों को संगठित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए यह कार्य **कृषि सखी** के माध्यम से किया जाएगा।
  - **प्रमाणन:** बाजार पहुंच के लिए सुगम व सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित सामान्य ब्रांडिंग का प्रावधान किया गया है।
  - **निगरानी:** योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वयन की रियल टाइम जियो-टैग्ड और संदर्भित निगरानी की जाएगी।
  - **अभिसरण:** मौजूदा योजनाओं और समर्थन संरचनाओं के साथ अभिसरण की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

प्राकृतिक कृषि के बारे में

- यह **रसायन मुक्त और पशुधन आधारित** कृषि पद्धति है। यह फसलों, वृक्षों और पशुधन को **कार्यात्मक जैव विविधता** के साथ एकीकृत करती है।
- **मुख्य घटक:**
  - **बीजामृत:** इसमें गाय के गोबर आदि से बीजों का उपचार किया जाता है;
  - **जीवामृत:** यह सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैव-उत्तेजक के रूप में कार्य करता है;
  - **आच्छादन (मल्चिंग):** इसके तहत जीवित फसलों और मृत बायोमास दोनों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढका जाता है;
  - **व्हापासा:** इसमें जलवाष्प के संघनन के लिए मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय करना शामिल है; और
  - **पौध संरक्षण:** कीटों आदि को रोकने के लिए जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (AIM) को जारी रखने को मंजूरी दी

- **अटल नवाचार मिशन 2.0 (AIM 2.0) नीति आयोग** की एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य **नवाचार और उद्यमिता परिवेश में निहित कमियों को दूर** करना तथा इसे और सफल बनाने के लिए **नई पहलें शुरू** करना है।
- **AIM 2.0 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **आवंटित बजट:** 2,750 करोड़ रुपये;
  - **योजना अवधि:** 31 मार्च, 2028 तक।
- **AIM 2.0 के मुख्य उद्देश्य**
  - **भारत के नवाचार और उद्यमिता परिवेश को तीन तरीकों से मजबूत करना:**
    - **इनपुट बढ़ाना** यानी, इनोवेटर्स और उद्यमियों की संख्या बढ़ाना। यह निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा:
      - **नवाचार का भाषा समावेशी कार्यक्रम (LIPI):** इसके तहत पहले से स्थापित इन्क्यूबेटर्स में संविधान में अनुसूचित भाषाओं के लिए **वर्नाक्यूलर इनोवेशन सेंटर्स** स्थापित किए जाएंगे।
      - **फ्रंटियर प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य जम्मू व कश्मीर (J&K), लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों (NE), आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए अनुकूलित टेम्पलेट बनाना है।
    - **निम्नलिखित के माध्यम से सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करना:**
      - **मानव पूंजी विकास कार्यक्रम:** यह पेशेवरों (प्रबंधक, शिक्षक व प्रशिक्षक) की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है।
      - **डीपटेक रिएक्टर:** यह शोध-आधारित डीप टेक स्टार्ट-अप्स के व्यवसायीकरण के तरीकों के परीक्षण के लिए **रिसर्च सैंडबॉक्स** है।
      - **राज्य नवाचार मिशन (SIM):** नीति आयोग के **राज्य सहायता मिशन** के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की जाएगी।
      - **अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम:** इसमें वार्षिक वैश्विक टिंकरिंग ओलंपियाड आयोजित करने; विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने; आदि पर जोर दिया जाएगा।
    - **निम्नलिखित के माध्यम से आउटपुट में सुधार किया जाएगा:**
      - **इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर्स स्थापित किए जाएंगे।
      - **अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड (ASIL) कार्यक्रम:** केंद्रीय मंत्रालयों में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे।

अटल नवाचार मिशन-1.0 (AIM-1.0) के बारे में

- इसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की तत्कालीन **शुरुआती नवाचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए नवाचार अवसंरचना को बढ़ावा देना था। इसके कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**
  - **अटल टिंकरिंग लैब (ATL)-स्कूल स्तर पर:** अभी देश भर में ऐसी 10,000 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।
  - **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC):** विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉरपोरेट्स क्षेत्र में।
  - **अन्य घटक:** अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (सेवा से वंचित या अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए); अटल न्यू इंडिया चैलेंज; आदि।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)" को मंज़ूरी दी

- "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)" पहल वास्तव में **विकसित भारत@2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** के लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के बारे में**
  - **योजना के बारे में:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसके तहत देश भर में एक ही प्लेटफॉर्म पर **विद्वानों के प्रकाशित शोध लेख और जर्नल्स** पढ़े जा सकते हैं।
    - इस योजना को आसान, यूजर फ्रेंडली और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
  - **वित्तीय आवंटन:** 2025-2027 की अवधि के लिए **6,000 करोड़ रुपये।**
  - **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय।
  - **कार्यान्वयन:** उच्चतर शिक्षा विभाग (DHE) के तहत एकीकृत पोर्टल **"वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन"** स्थापित किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए **कोई संस्थान जर्नल्स या शोध आलेख** एक्सेस कर सकेगा।
    - **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** समय-समय पर ONOS के उपयोग और इन संस्थानों के **भारतीय लेखकों के प्रकाशित आलेखों की समीक्षा** करेगा।
  - **लाभार्थी:** केंद्र या राज्य सरकार के उच्चतर शिक्षण संस्थान और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान।
  - **एक्सेस का तरीका:** राष्ट्रीय **सब्सक्रिप्शन** के माध्यम से। इसका समन्वय **इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)** नामक केंद्रीय संस्थान करेगा।
    - INFLIBNET **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** का **स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र** है।
  - **ONOS के लाभ:**
    - **अधिक संस्थानों के शोध लेख शामिल:** ONOS में **6,300 से अधिक सरकारी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान** शामिल हैं। इससे लगभग **1.8 करोड़ शोधकर्ता** लाभान्वित होंगे।
    - **आउटरीच:** इस पोर्टल के जरिए **टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित संस्थान** भी विद्वानों के शोध आलेख प्राप्त कर सकते हैं। इससे शोध के मामले में **सभी भौगोलिक क्षेत्रों की भागीदारी** सुनिश्चित हो सकेगी।

केंद्रीय बजट 2024-25 में अनुसंधान और विकास संबंधी घोषणाएं

- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के लिए बजटीय आवंटन:** इस संगठन को ANRF अधिनियम, 2023 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य **वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान** करना तथा उद्योग, शिक्षा, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना है।
- **निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार:** वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **1 लाख करोड़ रुपये के वित्त-पोषण पूल** की घोषणा की गई है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्रक** में स्टार्ट-अप्स और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए **1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड** स्थापित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष' को शामिल रखना बरकरार रखा

- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 2020 में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। इन याचिकाओं द्वारा **42वें संविधान संशोधन** के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किए गए 'समाजवादी' और पंथनिरपेक्ष' शब्दों की वैधता को चुनौती दी गई थी।
  - ध्यातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में **'अखंडता'** शब्द भी शामिल किया गया था।
- **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:**
  - **संविधान एक जीवंत दस्तावेज:** शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **'समाजवादी'** और **'पंथनिरपेक्ष'** जैसे शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किए जाने को केवल इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तावना को **इसके मूल रूप में रखा जाए, जिसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया** गया था।
    - संविधान का **अनुच्छेद 368** संविधान में संशोधन की अनुमति देता है और संशोधन करने की शक्ति निर्विवाद रूप से **संसद** के पास है। इसलिए, **संसद संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन** कर सकती है।
  - **पंथनिरपेक्षता:** भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है कि **राज्य न तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और न ही किसी धर्म विशेष को मानने और आचरण करने को दंडित करेगा। इसके अलावा, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म भी नहीं होगा।**
    - यह सिद्धांत संविधान के **अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 15 और 16** में भी निहित है।
  - **समाजवाद:** यह राज्य के **आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्रकट** करता है। यह **निजी उद्यमिता और व्यवसाय तथा वृत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं** करता है। गौरतलब है कि **व्यवसाय तथा वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत एक मौलिक अधिकार है।
  - **'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को शामिल करना:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना निर्वाचित सरकारों द्वारा अपनाए गए कानूनों को तब तक प्रतिबंधित नहीं करता, जब तक कि ऐसे कानूनों से संवैधानिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न हुआ हो।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि **पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।**
- **आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ:** पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समान और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करने की देश की प्रतिबद्धता की परिचायक है।
- **प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ:** इसमें न्यायालय ने कहा कि संविधान सरकार को आर्थिक अभिशासन के लिए एक ऐसा ढांचा निर्मित करने की अनुमति प्रदान करता है, जो **उन नीतियों का कार्यान्वयन करेगा जिनके लिए वह मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है।**

अन्य सुर्ख़ियां

संविधान दिवस 2024

- **26 नवंबर, 2024** को **75वां संविधान दिवस** मनाया गया। यह दिवस भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
  - भारत के संविधान को **26 नवंबर, 1949 को अपनाया** गया था।
  - भारत का संविधान **26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू** हुआ था।
- **संविधान दिवस के बारे में**
  - संविधान दिवस मनाने की शुरुआत **2015 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष** के अवसर पर हुई थी।
  - **डॉ. अंबेडकर** को **'भारतीय संविधान का जनक'** माना जाता है। वे **संविधान की प्रारुप समिति के अध्यक्ष** थे।
- **"भारत के संविधान" के बारे में**
  - यह विश्व का **सबसे बड़ा लिखित संविधान** है।
  - इसे **मुद्रित या टाइप नहीं** किया गया है। इसे **प्रेम बिहारी नारायण रायजादा** ने अंग्रेजी में और **वसंत कृष्ण वैद्य** ने हिंदी में अपने हाथों से लिखा है।
  - इसके पृष्ठों को **शांतिनिकेतन** के कलाकारों ने **नंदलाल बोस** के निर्देशन में कलात्मक रूप से सजाया था।

नरसापुर क्रोशिए लेस (Narasapur Crochet Lace)

- **आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुर क्रोशिए लेस को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** दिया गया है।
- **नरसापुर क्रोशिए लेस के बारे में**
  - ये अलग-अलग रंगों में **सूती धागे** से तैयार किए गए लेस हैं।
  - अलग-अलग आकार की पतली क्रोशिए सुइयों से बुने गए पतले धागों का उपयोग करके लेस बनाए जाते हैं।
- **GI टैग के बारे में**
  - यह किसी **विशिष्ट भौगोलिक स्थान से जुड़े गुणों वाले उत्पादों** को दिया गया नाम या चिह्न है।
  - किसी उत्पाद को **10 वर्षों के लिए GI टैग** दिया जाता है।
  - **भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत GI टैग दिया जाता है।
  - **नोडल मंत्रालय/ विभाग:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।**

भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be forgotten)

- दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्च इंजनों पर दंपतियों का नाम छुपाने का आदेश दिया।
- भुला दिए जाने के अधिकार के बारे में
  - भुला दिए जाने के अधिकार को किसी के डिजिटल फुटप्रिंट को (इंटरनेट सर्च आदि से) हटाने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा तब आवश्यक हो जाता है, जब यह किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - इसे निजता के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
    - हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई वैधानिक फ्रेमवर्क नहीं है, जो भुला दिए जाने के अधिकार को निर्धारित करता हो।

कनगनहल्ली और सन्नति बौद्ध स्थल

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी के किनारे स्थित प्राचीन बौद्ध स्थलों कनगनहल्ली और सन्नती की अप्रयुक्त पर्यटन क्षमताओं पर प्रकाश डाला।
- कनगनहल्ली और सन्नति से प्राप्त पुरावशेष
  - 2000 साल पुराना अशोक का शिलालेख।
  - अधोलोक महाचैत्य (पाताल लोक का महान स्तूप)।
  - निर्माण अवधि: तीसरी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई. तक।
    - विशेषताएं: विस्तृत अलंकरण, अयक मंच, परिक्रमा पथ, आदि।
    - मूर्तियां: बुद्ध, यक्ष, जातक कथाएँ, अशोक, सातवाहन सम्राटों आदि की मूर्तियां।
  - ब्राह्मी लिपि में 'राय अशोक' से नक्काशी की गई अशोक की मूर्ति, मौर्य सम्राट की एकमात्र उपलब्ध प्रतिमा है।
    - अमरावती कला शैली की विशेषताएं पाई गई हैं।

ब्लैक थ्रिप्स (थ्रिप्स परविस्पिनस)

- कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ हिस्सों में मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप्स के संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
  - यह ब्लैक थ्रिप्स पेस्ट इस क्षेत्र की स्थानिक (एंडेमिक) बीमारी हो गई है।
- ब्लैक थ्रिप्स के बारे में
  - यह फसल को चूसने वाला एक आक्रामक पेस्ट है। यह मिर्च के कोमल फूलों को खा जाता है, फूलों को कमजोर करके गिरा देता है और मिर्च की फसल के फल के गिरने का कारण बनता है। इससे उपज में कमी आती है।
  - वयस्क और लार्वा ब्लैक थ्रिप्स, दोनों ही पौधे के रस को चूसकर और उसे कुतरकर नुकसान पहुंचाते हैं।
- संक्रमण रोकने के उपाय
  - मिर्च की फसलों के साथ अगाथी/ मक्का/ ज्वार की फसल उगानी चाहिए।
  - फसलों के ऊपर नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए।

पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) 2.0

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आयकर (IT) विभाग की पैन 2.0 (PAN 2.0) परियोजना को मंजूरी दी।
- पैन 2.0 परियोजना के बारे में
  - यह ई-गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है।
  - यह वर्तमान पैन/ टैन 1.0 प्रणालियों का अपग्रेड है।
    - PAN दस अंकों का विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। इसे धारक के लेन-देन (कर भुगतान, आदि) को आयकर विभाग के साथ लिंक करने के लिए जारी किया जाता है।
  - मुख्य लाभ: यह सभी निर्धारित सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए कॉमन पहचान, डेटा स्थिरता, सचाई जानने का एकल स्रोत, आदि के रूप में कार्य करेगा।

रियांग जनजाति

- रियांग समुदाय के सदस्यों ने अपनी भाषा कौब्रू को मान्यता देने की मांग की है। रियांग "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह" (PVTG) है।
  - ढेबर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में 75 PVTGs की पहचान की गई है।
- रियांग जनजाति के बारे में
  - यह त्रिपुरा में इंडो-मंगोलॉयड नृजाति समूह का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
  - कृषि/ आर्थिक गतिविधि: खानाबदोश, झूम खेती और अन्य खाद्य संग्रह गतिविधियां।
  - धर्म/ आस्था: ये हिंदू हैं और इनकी बहुसंख्यक आबादी वैष्णव धर्म की अनुयायी हैं। ये पूर्वजों की आत्माओं और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं।
  - सामाजिक: अंतर्विवाही (Endogamous) हैं, यानी अपने समुदाय के भीतर विवाह में विश्वास करते हैं।
  - संस्कृति: इनकी संस्कृति का मुख्य अंग होजागिरी नृत्य है। यह नृत्य 4-6 के समूह में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य आयोजन के दौरान पुरुष सदस्य गीत गाने, ढोल बजाने जैसी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं।

HIV (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस)

- द लांसेट HIV जर्नल के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नए HIV संक्रमण में 22% और HIV से संबंधित मौतों में 40% की गिरावट आई है।
- HIV वायरस के बारे में
  - HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे व्यक्ति के शरीर की कुछ संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
  - यदि उचित इलाज न किया जाए तो HIV एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम) रोग का कारण बन सकता है।
- HIV की भारत द्वारा की गई पहल:
  - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) चरण-V: इसका उद्देश्य 2010 के आधारभूत वर्ष की तुलना में 2025-26 तक वार्षिक नए HIV संक्रमणों और एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% तक कमी लाना है।
  - HIV और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 लागू किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

रिपब्लिक ऑफ कोरिया/ दक्षिण कोरिया (राजधानी: सियोल)

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत वैश्विक प्लास्टिक संधि पर अंतिम वार्ता दक्षिण कोरिया के बुसान में चल रही है।
- रिपब्लिक ऑफ कोरिया/ दक्षिण कोरिया के बारे में
  - भौगोलिक अवस्थिति:
    - अवस्थिति: यह एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका विस्तार दक्षिणी कोरियाई प्रायद्वीप पर है।
    - सीमाएं: उत्तर कोरिया से लगती है।
      - » 38°N अक्षांश/ समानांतर रेखा इसे उत्तर कोरिया से अलग करती है
    - समुद्री सीमाएं: यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी सागर या जापान सागर; दक्षिण में पूर्वी चीन सागर; तथा पश्चिम में पीत सागर (Yellow Sea) है।
  - भौगोलिक विशेषताएं
    - जलडमरूमध्य: कोरियाई जलडमरूमध्य इसे दक्षिण-पूर्व में जापान के त्सुशिमा द्वीप समूह से अलग करता है।
    - प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: ताएबेक, सोबेक आदि।
    - सबसे ऊंची चोटी: जेजू द्वीप पर माउंट हल्ला।
    - प्रमुख नदियां: हान, ग्युम, नाकडोंग आदि।